छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पंजीकृत | पंजीयन क्रमांक : 122202245243

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
भोजवानी साहू	देवेन्द्र कुमार	अक्षय खुशलानी
मो.-8103719938	मो.-9926810881	मो.-7247241111

पत्र क्रमांक-03 दिनांक- 11/07/25

प्रति,

माननीय मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

विषय :– चिप्स (आधार एजेंसी) छत्तीसगढ़ द्वारा की जा रही धाधली बाबत्।

महोदय,

मैं भोजवानी साहू अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आधार समिति निवासी–वार्ड नं. 15 नगर पंचायत छुरिया, जिला– राजनांदगांव छ.ग. का निवासी हूँ अध्यक्ष की हैसियत से छत्तीगसढ़ के विभिन्न जिलों एवं ग्राम पंचायत के आधार ऑपरेटरों से विभिन्न प्रकार की शिकायत वर्तमान में इन हॉउस मॉडल लागू होने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त हुयी उन संदर्भित शिकायतों का दस्तावेजी अध्ययन करने पश्चात् एवं विभिन्न शासन के अधिकारियों से शिकायत एवं चर्चा पश्चात् एवं बैठक कर शिकायत का निवारण नही होने पर यह शिकायत आवेदन शिकायत निम्नानुसार है :–

1. विभिन्न आधार ऑपरेटरों को पेमेंट से संबंधित गलत डाटा सीट दिया जा रहा है जिसमें जुलाई,अगस्त, दिसम्बर 2023 का डाटा चिप्स द्वारा गायब कर दिया गया है जिनको पेनाल्टी लगा है उन्हें पेनाल्टी सीट दिया गया है जिनको भुगतान करना है उनको पेनाल्टी सीट नही दिया गया है ना ही किसी प्रकार की जानकारी प्रदान किया गया है।

11/07/25
CHIEF SECRETARY OFFICE
Mantralaya, Nava Raipur Atal Nagar

AADHAAR

आफिस पता-जय बुधदेव वार्ड,वार्ड नं.-15,नगर पंचायत छुरिया, जिला-राजनांदगांव
राज्य-छत्तीसगढ, पिन नं.-491558, ईमेल : aadharunioncg@gmail.com

2. चिप्स कार्यालय द्वारा जी.एस.टी. हेतु दिनांक 27/11/2024 को लेटर जारी किया गया लेकिन आधार ऑपरेटरों से 2017 से जी.एस.टी. काटा जा रहा है।
3. यू.आई.डी. हैदराबाद द्वारा पेनाल्टी राशि उस महिने के लगने वाले पेनाल्टी का 10 प्रतिशत देना होता है लेकिन कार्यालय चिप्स द्वारा आधार ऑपरेटरों से 100 प्रतिशत मनमानी तरीके से वसुला जा रहा है।
4. चिप्स कार्यालय द्वारा कुछ ऑपरेटरों का 2016 से एवं समस्त ऑपरेटरों का 2022 से भुगतान नही किया गया है।
5. जिनको पेनाल्टी नही लगा है उनका चिप्स के पास कोई डाटा सीट नही है इनके पास लगभग 1800 आधार ऑपरेटर है लेकिन इनके द्वारा मात्र कुछ लोगों का जिनसे पेनाल्टी लेना है उन्ही का डाटा सीट तैयार किया गया है कहने पर स्टेशन आई.डी. बताओं उसके उपरांत आपको डाटा सीट बनाकर दिया जायेगा।
6. चिप्स द्वारा मानमानी करते हुए फेस–2 में जो रिकर्वरी था उसे जोड़ा नही गया है 1 ऑपरेटर को 2017 से दिसम्बर 2022 तक कार्य करने के उपरांत रिकर्वरी राशि 3,44,000/– था उसे जनवरी 2023 से जून 2024 तक का हिसाब में वर्तमान पेनाल्टी 0 रूपये दिया गया है।
7. छत्तीसगढ़ में चिप्स द्वारा भर्ती किए गए ई.डिस्टीक मैनेजर अपना मानमानी चला रहे है इन हॉउस मॉडल में चिप्स द्वारा संचालित नियम सभी जिले के लिए एक होना चाहिए कुछ जिलों में पुराने ऑपरेटर को भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दिया जा रहा है वह सही है लेकिन रायपुर जिले में दस्तावेज के आधार पर भर्ती किया जा रहा है वहीं महासमुंद जिले में 12वीं का प्रतिशत एवं कम्पूटर प्रतिशत के आधार पर भर्ती किया जा रहा है जो कि नियमता गलत है।
8. रायपुर जिले में पेनाल्टी राशि नही पटाने पर भर्ती प्रक्रिया में अपात्र कर दिया गया है तथा 4 वर्ष का कार्य अनुभव होने के उपरांत कम्पूटर सर्टिफिकेट नही होने के कारण अपात्र कर दिया गया है जबकि आधार ऑपरेटर नियुक्ति करते समय कोई ऐसा नियम नही बनाया गया था।
9. छत्तीसगढ़ में लगभग 1800 लगभग आधार ऑपरेटर है लेकिन चिप्स द्वारा मात्र लगभग 845 आधार कीट इन हाउंस मॉडल के लिए खरीदा जा रहा है

जबकि प्रोजेक्ट में 1000 से अधिक मशीन खरीदने के लिए शासन द्वारा राशि बजट 2024–25 में स्वीकृत किया गया है।

10. शासन द्वारा ग्रांम पंचायत के हितग्रहियों को बेहतर सुविधा के लिए डीजिटल ग्राम पंचायत एवं वर्तमान सरकार द्वारा अटल डीजिटल पंचायत खोला जा रहा है लेकिन ग्राम पंचायत के आधार ऑपरेटरों को आधार कार्य से बाहार किया जा रहा है।

11. चिप्स द्वारा आधार ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए जो राशि यू.आई.डी.आई. से प्राप्त होता है उसे भी 2015 से अब तक गबन करते आ रहे है और ऑपरेटरों को दस्तावेज संबंधित किसी प्रकार का प्रशिक्षण नही दिया जा रहा है।

12. चिप्स को हर महिने यू.आई.डी. द्वारा ऑपरेटरों के किए गए कार्य का भुगतान कर दिया जाता है लेकिन चिप्स द्वारा भुगतान 2 से 3 साल अटकाकर किया जाता है।

13. चिप्स कार्यालय द्वारा 2015 से आधार क्षेत्र में कार्य कर रहे आधार ऑपरेटरों को आज तक कोई प्रमाण–पत्र या लेटर कुछ नही प्रदान किया गया है ना ही इनके द्वारा जो डाटा सीट तैयार किया जाता है ना किसी अधिकारी का हस्ताक्षर या दिनांक का उल्लेख नही होता।

14. यू.आई.डी.आई. द्वारा दस्तावेज में बदलाव के बाद चिप्स के अधिनस्त ऑपरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राशि भेजा जाता है लेकिन चिप्स कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण नही कराया जाता है।

15. कार्यालय चिप्स द्वारा 2 करोड़ 47 लाख रूपये का 1300 आधार ऑपरेटरों से पेनाल्टी के रूप में रिर्कवरी एस.बी.आई. के सेविंग खाता में लिया जा रहा है।

16. चिप्स द्वारा आधार ऑपरेटरों से पेनाल्टी राशि वसुल किया जा रहा है लेकिन प्राप्त राशि का भुगतान प्राप्ति रसीद नहीं दिया जा रहा है पावती मांगने पर चिप्स कार्यालय जिला ई.गर्वनर्स सोसायटी जिले से ले लो कहकर पल्ला झाड ले रहा है।

17. पेनाल्टी राशि के नाम पर करोड़ो रूपये का गबन किया जा रहा है।

18. चिप्स कार्यालय किसी ऑपरेटरों का दस्तावेज नहीं रखा है जिस मशीन में जो काम कर रहा है उस ऑपरेटर पर बिना किसी दस्तावेज के आधार पर उनके नाम से पेनाल्टी लगाया जा रहा है आधार मशीन का मालिक कोई और है और पेनाल्टी राशि किसी अन्य ऑपरेटर के नाम से लिया जा रहा है।

19.2022 फेस–2 में जिन ऑपरेटर को 3 लाख 2 लाख रूपये का पेनाल्टी लगा था उन्हें आज दिनांक तक वसूली नही किया गया है वर्तमान में जो पेनाल्टी लिस्ट जारी किया गया है उस ऑपरेटर का रिर्कवरी 0 रूपये दिखा रहा है।

20. सी.ए. एवं आधार प्रोजेक्ट मैनेजर से बैठक करने पर बाद में पेनाल्टी राशि बाद में लेगें कहकर टालमटोल जवाब देकर बैठक खत्म कर दिया गया।

अतः माननीय महोदय जी से निवेदन है कि समस्त बिन्दुओं पर ध्यानआर्षित करते हुए रूके हुए भुगतान राशि प्रदान कराने का कृपा करेगें।

अध्यक्ष / सचिव
छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति